

बिहार सरकार
वाणिज्य-कर विभाग
—:अधिसूचना:—

संचिका संख्या :—6/अ0-03-24/2023

पटना, दिनांक—

श्रीमती नूपुर सिन्हा, राज्य-कर सहायक आयुक्त (63वीं बैच), शाहाबाद अंचल, आरा को बिहार सेवा संहिता के नियम-180 एवं 236 के तहत दिनांक-01.04.2025 से 30.04.2026 तक कुल 395 दिनों का असाधारण अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

यह असाधारण अवकाश अवैतनिक होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

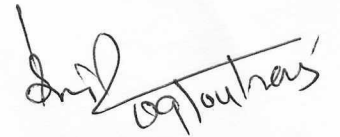
(ज्योति प्रकाश)

सरकार के अवर सचिव,
वाणिज्य-कर विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-6/अ0-03-24/2023 1676

पटना, दिनांक— 11/04/25

प्रतिलिपि:-प्रभारी पदाधिकारी, क्ति (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना-800015/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, भोजपुर (आरा)/राज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्रभारी), शाहाबाद अंचल, आरा/राज्य-कर संयुक्त आयुक्त-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/राज्य-कर उपायुक्त-सह-नोडल पदाधिकारी, एच0आर0एम0एस0, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना एवं श्रीमती नूपुर सिन्हा, राज्य-कर सहायक आयुक्त (63वीं बैच), शाहाबाद अंचल, आरा को सूचनार्थ प्रेषित।



सरकार के अवर सचिव,
वाणिज्य-कर विभाग,
बिहार, पटना।